पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना फॉर्म Online भरने एवं हॉर्ड कॉपी संबंधित महाविद्यालय में प्रेषित करने संबंधी दिशा–निर्देश

- परीक्षार्थी सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.ruhsraj.net अथवा www.ruhsraj.org पर Visit करें एवं पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना (Re-evaluation/Re-Totaling) हेतु आवेदन करने से पूर्व वेबसाईट पर उपलब्ध महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- अभ्यर्थी पुनर्मूल्यांकन हेतु थ्यौरी के कुल 50 प्रतिशत पेपर्स *(विद्यार्थियों संबंधित परीक्षा के जितने पेपर्स में प्रविष्ठ हुआ है, उसके 50 प्रतिश पेपर्स में पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन कर सकता है)* में ही आवेदन कर सकता है। *(यदि किसी विषय के दो पेपर हैं तो उनकी अलग–अलग पेपर के रूप में गणना की जायेगी एवं यदि किसी पेपर में भी दो सेक्शन हैं, उदाहरणार्थः– सेक्शन "ए" और सेक्शन "बी", तो अभ्यर्थी चाहें सेक्शन "ए" अथवा सेक्शन "बी" अथवा दोनों सेक्शनों में पुनर्मूल्यांकन करवा सकता है, परन्तु इसको एक ही पेपर माना जावेगा। फीस प्रति उत्तरपुस्तिका के हिसाब से चार्ज की जाएगी)*
- परीक्षार्थी Fill/Re-Print Form (Exam/Reval/Re-total)-Start पर क्लिक करें एवं Class Selection Panel में संबंधित सभी प्रविष्टियाँ यथा– संबंधित संकाय, पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना का चयन, पाठ्यक्रम, कक्षा, परीक्षा का नाम आदि भरकर Proceed करें तथा OK पर क्लिक करने से पूर्व पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु ऑनलाईन के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा–निर्देशों का आवश्यक रूप से अवलोकन करें।
- तत्पश्चात् परीक्षार्थी "Student Selection Panel" पर जाकर संबंधित सभी प्रविष्टियों यथा– Student Name, Student Enrolment No. प्रविष्ट करें एवं Continue पर क्लिक करें।
- तत्पश्चात् परीक्षार्थी Details of Subject(s) offered में नियमानुसार जिस विषय में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना चाहता है, भरकर Save & Next पर क्लिक कर Payment पर क्लिक कर पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु सही विषयों के चयन के संबंध में निम्नलिखित दिशा–निर्देशों का अवलोकन करने के पश्चात् ही OK पर क्लिक करें। चूंकि OK पर क्लिक करने के पश्चात् पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु चयनित विषयों में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन संभव नहीं होगा।
- तत्पश्चात ऑनलाईन पार्टल पर उपलब्ध Payment के विभिन्न माध्यमों से Online Payment कर संबंधित आवेदन फॉर्म की हॉर्ड कॉपी प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- यदि परीक्षार्थी के द्वारा ऑनलाईन भुगतान के पश्चात् (ऑनलाईन भुगतान करते समय ऑनलाईन ऑवेदन फॉर्म का प्रिन्ट आउट नहीं लेने की स्थिति में) पुनः वेबसाईट www.ruhsraj.net पर जाकर अग्र प्रक्रियानुसार यथा– Verify Payment / Printout (प्रिंट नहीं आने की स्थिति में) पर जाकर Print-out Reval Exam Form - Printout of Reval Form in case of Payment is successful but Reval form was not printed – Enroll Year एवं Enroll Number अथवा Check Online Payment Transaction Status - Printout of Reval Form with Merchant ID. - Merchant Transaction Identifier भरकर पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना फॉर्म का प्रिंट प्राप्त किया जा सकता है।
- तत्पश्चात् संबंधित परीक्षार्थी ऑनलाईन आवेदन–फॉर्म की हॉर्ड कॉपी फॉर्म पर अपने हस्ताक्षर कर कर पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना आवेदन फॉर्म की एक प्रति एवं ऑनलाईन भुगतान की रसीद (Payment Invoice) संलग्न कर, संबंधित महाविद्यालय में निर्धारित समयावधि *(ऑनलाईन हेतु आवेदन की समय सीमा 07 दिवस के भीतर)* अथवा आवेदन की अंतिम तिथि के आगामी कार्य दिवस में आवश्यक रूप से जमा करावें।
- संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य परीक्षार्थी द्वारा जमा कराए गए पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना फॉर्म की प्रति को जांचने के उपरान्त विश्वविद्यालय की निर्धारित समयावधि में कॉलेज पोर्टल के माध्यम से सभी योग्य विद्यार्थियों के ऑनलाईन आवेदन फॉर्म को सत्यापित (verify) करने के उपरांत केवल Not Eligible विद्यार्थियों की सत्यापित सूची विश्वविद्यालय को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- महाविद्यालय केवल Not Eligible विद्यार्थियों की ऑनलाईन वैरीफाई सूची ही ई–मेल के माध्यम से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, छात्र/छात्राओं द्वारा जमा कराए गए पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना आवेदन फॉर्मस को महाविद्यालय स्तर पर ही संधारित किया जाना सुनिश्चित करें।